

TAX C.H.R. BAR ASSOCIATION

टैक्स उपभोक्ता मानवाधिकार विधिज्ञ समिति

कार्यालय : मुरादाबाद रोड काशीपुर (उत्तराखंड) –244713

फोन/फैक्स : (05947)- 277747

पत्रांक: 115/राजभाषा/2024

दिनांक 28.11.2024

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय
माननीय जिला उपभोक्ता आयोग
उधमसिंह नगर

विषय : माननीय जिला उपभोक्ता आयोग में समस्त कार्य संवैधानिक व कानूनी उपबंधों के अनुसार राजभाषा हिन्दी में करना सुनिश्चित कराने हेतु निवेदन

माननीय महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि उत्तराखंड में 07 जनवरी 2010 से लागू उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम 2009 (अधिनियम सं० 14 सन 2010) की धारा 2 के अनुसार राज्य की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी है तथा इससे पूर्व उ०प्र० राजभाषा अधिनियम 1951 के अन्तर्गत भी उत्तराखंड राज्य की राजभाषा उत्तराखण्ड गठन से ही हिन्दी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट हिन्दी सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अपने निर्णय की प्रतियां उपलब्ध करा रहा है, वही अनुच्छेद 348(2) के अन्तर्गत उत्तराखंड सहित वैकल्पिक रूप से हिन्दी में कार्य करने को अधिकृत उच्च न्यायालयों में हिन्दी में कार्य करने को बढ़ावा दिया जा रहा है।

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने अपने रिट पिटीशन संख्या 2130 सन 2009 में दिये गये निर्णय दिनांकित 27.03.2010 में श्री माननीय उपभोक्ता आयोग में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुये इसे राज्य व जनहित में उपयोगी बताया है।

परन्तु जिला उपभोक्ता फोरम/आयोग में विशेष रूप से विभिन्न विपक्षियों (बीमा कम्पनियों, बैंकों, कम्पनियों आदि) द्वारा अपने अभिवचन, प्रार्थनापत्र आदि अंग्रेजी में फाइल किये जा रहे हैं जिसे सामान्य उपभोक्ताओं को पढ़ने व समझने में कठिनाई होती है। इससे उपभोक्ता हित व जनहित प्रभावित होते हैं। इसलिये व्यापक उपभोक्ता हित व जनहित में उपभोक्ता आयोग की कार्यवाहियों में शत प्रतिशत राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है।

अतः आपसे नम्र निवेदन है कि माननीय जिला उपभोक्ता आयोग में समस्त कार्य संवैधानिक व कानूनी उपबंधों के अनुसार राजभाषा हिन्दी में करना सुनिश्चित कराने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी/निवेदक

नद्रीम उद्दीन (एडवोकेट)

सी.एस.जी.एम., एल.एल.एम.

अध्यक्ष: टैक्स सी. एच. आर. बार एसोसिएशन
कार्यालय: मुरादाबाद रोड, काशीपुर (उत्तराखण्ड)

Email: nadimadvocate@gmail.com